मध्यप्रदेश शासन
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन
:: आदेश ::

भोपाल, दिनाकं 7 सितम्बर, 2006

क्रमांक एफ 1–4/2006/56 :– राज्य शासन द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी नीति के तहत निवेशकर्ताओ ं को शासकीय भूमि के आवंटन हेतु निम्नानुसार निर्णय लिया गया हैः–

1. नेस्कॉम द्वारा चिन्हित देश की 20 श्रेष्ठतम् साफ्टवेयर कंपनियों एवं 15 आई.टी.ई.एस. एवं बी.पी.ओ. कंपनियों को प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जाए। प्रथम आयें प्रथम पाये ं के सिद्धान्त पर आवेदक कंपनियो ं को शासकीय भूमि आवंटित की जाए।

2. शासकीय भू मि पर सूचना प्रौद्योगिकी नीति के तहत देय छूट रूपये 25000/– प्रति रोजगार की कमी भूमि के मूल्य में से किए जाने पर दी गई छूट की राशि के बराबर बैंक गारंटी दो वर्ष के लिए आवेदक कंपनी से प्राप्त की जाए ।

3. अधोसरं चना विकासकर्ताओं को शासकीय भूमि का आवटं न विज्ञापन द्वारा प्रस्ताव बुलाये जाने के उपरान्त किया जाए । प्रत्येक प्रकरण में आवटं न 100 से 200 एकड़ के मध्यकिया जाए। उत्कृष्ट अधोसंरचना का विकास कर चुकी कंपनियों को ही रूचि व्यक्त करने की पात्रता होगी । पात्रता के लिए निम्नलिखित बिन्दुओं पर मूल्यांकन किया जाएः–

1. आवेदक कंपनी द्वारा आई.टी./आई.टी.ई.एस./बी.पी.ओ. के लिए वर्ग फिट में विकसित अधोसरंचना।
2. विकसित अधोसंरचना में उत्पन्न प्रत्यक्ष रोजगार की संख्या ।
3. नेस्कॉम द्वारा सूचीबद्ध श्रेष्ठतम् 20 साफ्टवेयर कंपनी एवं 15 आई.टी.ई.एस. एवं बी.पी.ओ कंपनियों में से कितनी अधोसंरचना विकासकर्ता द्वारा विकसित पार्कों में कार्य कर रही है ।
4. आवेदक कंपनी द्वारा अभी तक विकसित पार्क में कितनी फारच्यून 500 कंपनी (जिनका संबंध आई.टी./आई.टी.ई.एस./बी.पी.ओ. से है) कार्यरत है ।
5. कंपनी का मूल्यांकन ।
6. कंपनी का वार्षिक टर्न ओवर ।

उपरोक्त मापदण्डों के आधार पर मूल्यांकन उपरान्त उपलब्ध शासकीय भूमि के लिए योग्यतम् कंपनी का चयन किया जाए ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(अनुराग श्रीवास्तव)
अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन

:: **संशोधन** ::

भोपाल, दिनाकं 7 सितम्बर, 2006

क्रमांक एफ 1–1/2004/56 :– इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 3 अप्रेल 2006 द्वारा जारी की गई राज्य की सूचना प्रौद्योगिकी नीति की कंडिका 5.b.v.8.b में निम्नानुसार संशोधन किया जाता हैः–

5b.v.8.b Rebate shall be restricted to Rs. 25,000/- per job created in the unit .

Or

The applicant companies proposing to have fixed capital investment (excluding Working capital) of Rs 10 Crore and above will have the option of land at the rate of 25%of the prevalent premium, subject to availability of land and with the condition that theinvestment in fixed capital will be made within a period of three years. Land to such unitswill be allotted according to the table given below:

S.No	**Project Cost (Rs in Crores)**	**Land available at concessional rates**
1	10 to 20	Maximum 10 acres as per requirement
2	20 to 50	Maximum 15 acres per requirement
3	50 to 100	Maximum 25 acres per requirement
4	More than 100	Case to case basis

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,
(अनुराग श्रीवास्तव)
अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन

—:: आदेश ::—

भोपाल, दिनांक 02 मई, 2006

क्रमाक : एफ 11–125/05/बी–ग्यारह :: राज्य शासन द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी नीति 2006 के अन्तर्गत सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में निवेशों के लिए निम्नानुसार छूट/प्रत्साहन दिया जावेगा :–

सूचना प्रौद्योगिकी के निवेश जो राज्य शासन द्वारा आवंटित भूमि अथवा निजी भूमि पर स्थापित होते हैं प्राप्त होंगी। एकल खिड़की प्रणाली से सभी अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाएंगे एवं शासकीय औपचारिकतायें की पूर्ति की जाएगी।

(ख) **प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी के निवेश को आकर्षित करने के लिए भूमि के मूल्य में छूट देना एक मुख्य प्रोत्साहन है। सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र के निर्माण के लिए आंवटित भूमि के मूल्य पर निम्नानुसार छूट प्राप्त हो सकेगी :–**

1. छूट केवल शासकीय भूमि, विकास प्राधिकरणों एवं शासकीय निगमों की भूमि के आवंटन पर ही लागू होगी।

2. **कंपनी द्वारा दिये गए रोजगार की संख्या को रूपये 25.000 की दर से गणना करते हुए छूट की राशि सीमित की जाएगी।**

3. **आवेदक कंपनी द्वारा 100 व्यक्तियों को रोजगार दिये जाने पर ही छूट की पात्रता होगी।**

4. कंपनी को न्यूनतम 2 वर्ष तक कार्य करना अनिवार्य होगा।

5. 500 से अधिक व्यक्तियों को रोज़गार देने पर भूमि निःशुल्क आवंटित की जाएगी। इसका निर्धारण नीति के क्रियान्वयन की निगरानी रखने के लिए गठित मंत्रि–परिषद समिति द्वारा किया जाएगा।

6. भूमि 33 वर्ष की लीज पर दी जाएगी तथा इसके नवीनीकरण का प्रावधान होगा। इस तरह आवंटित भूमि का न्यूनतम 60 प्रतिशत हिस्सा सूचना प्रौद्योगिकी के निवेश के लिए उपयोग में लाया जाएगा शेष 40 प्रतिशत का उपयोग अन्य सहायक

गतिविधियों के लिए किया जा सकेगा। इस तरह विकसित क्षेत्र में प्रति एकड़ न्यूनतम 350 व्यक्तियों को रोजगार देने की क्षमता होना चाहिए।

(ग) प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी की इकाईयों को केन्द्र शासन के प्रावधानों के तहत स्पेशल इकॉनामिक जोन की सुविधायें प्राप्त करने का अधिकार होगा।

मध्यप्रदेश राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

5.5.06
(टी.सी.लोहनी)
अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

पृ.क्रमांक : एफ 11–125/05/बी–ग्यारह भोपाल, दिनांक 02 मई, 2006
प्रतिलिपि :–

1– मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर, की ओर सूचनार्थ।
2– प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को उनकी टीप क्रमांक एफ 1–1/56/2004 दिनांक 12.04.2006 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3– उद्योग आयुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल।
4– प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवेलपमेंट कार्पोरेशन लि. भोपाल।
5– प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम लि., इन्दौर/भोपाल/ग्वालियर/जबलपुर/रीवा।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अपर सचिव 5.5.06
मध्यप्रदेश शासन